



233/1

दूरभाष 2288708
2288710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1737 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

दिनांक : 28 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गाजियाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिडिकैंट बैंक	85562010120829	IFSC Code SYNB0008556	98.471

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/बाई का नाम	प्रथम क्रिस्त की धनराशि का प्रेषण
1	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० लोनी	बस्ती विकास कुंज (सोनिया नगर) में शेर के मकान से लक्ष्मण दास के मकान तक, राजेन्द्र पाल के मकान से राजेश के मकान तक, पवन के मकान से सुनील के मकान तक व श्रीपाल के मकान से हरिलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.474
2	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० लोनी	बस्ती आदेश नगर (भाग-01) में कमल के मकान से जयप्रकाश के मकान तक, कृष्णदेव अर्जुन के मकान तक, सुनील के मकान से अर्जुन के मकान तक, रमेश के मकान से मन्दिर तक, राजकिशोर के मकान से अनिल के मकान तक धर्मसिंह के मकान से बाल्मिकी मन्दिर तक व बनवारी के मकान से राहुल के मकान तक, सिंह डेरी के मकान से भूरा के मकान तक एवं रमेश के मकान से भूरा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.306
3	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० लोनी	बस्ती आदेश नगर (भाग-02) में धनराज के मकान से सुखपाल के मकान तक दिनेश के मकान से अनिल के मकान तक, फौजी के मकान से भोपाल के मकान तक लाली के मकान से सैनी भवन तक एवं कमल के मकान से मोहित के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.022
4	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० लोनी	बस्ती जवाहर नगर में आमवरी बर्तन वाली गली से होते हुये ओमपाल के मकान से कर्ण के मकान तक, श्रीपाल के मकान से राजपाल के मकान तक, देवेन्द्र के मकान से देवी के मकान तक, मित्रपाल के मकान से किरण पाल के मकान तक, फूलसिंह के मकान से विष्णुनारायण एवं सुरेश पाल के मकान तक एवं देवी के मकान से सतेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.266



233/2

दूरभाष 2288709

2288710

नव धेताना केंद्र, 10 जशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
5	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० डासना	बस्ती सदभावना नगर में शिव कुमार के मकान से एणजीत सैनी के मकान तक, ताहिर के मकान से शिवकुमार के मकान तक, आजाद के मकान से ताहिर के मकान तक, ताहिर के मकान से एणजीत सैन के मकान तक, श्री निवास के मकान से रामलाल के मकान तक, ब्रजमोहन के मकान से राजू के मकान तक, राजू के मकान से शिवजी के मकान तक तथा राजू के मकान से कारीनाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.180
6	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प०प० लोनी	बस्ती न्यू विकास नगर (सुन्दर नगर) (भाग-01) में राजा के मकान से निर्देश के मकान तक, राकेश वाली गली में, मूलचन्द्र के मकान से रामशरण के मकान तक, विरेन्द्र के मकान से प्रमोद के मकान तक, कर्मपाल के मकान से सूबे के मकान तक, धर्मवीर के मकान से कपिल के मकान तक, पीर के मकान से सौनू के मकान तक, सूरज के मकान से कर्मचन्द्र के मकान तक, कर्मचन्द्र के मकान से जयसिंह के मकान तक, तेज के मकान से संजय के मकान तक, राजकुमार के मकान से चन्द्र पाल के मकान तक, एस०एन०पी० के मकान से सुरेश के मकान तक, मामचन्द्र के मकान से कपिल के मकान तक मामचन्द्र के मकान से अशोक के मकान तक, वन्दा के मकान से किरणपाल के मकान तक एवं कपिल वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.608
7	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प०प० लोनी	बस्ती न्यू विकास नगर (सुन्दर नगर) (भाग-02) में गुलनारी के मकान से भिनेश के मकान तक, हीरालाल के मकान से भिनेश के मकान तक, ब्रहमवीर के मकान से देवेन्द्र के मकान तक, मुन्ना के मकान से एणवीर के मकान तक, अभित के मकान से शैली के मकान तक, रमाशंकर वाली गली में हंस टेलर के मकान से सुभाष के मकान तक, किरण पाल के मकान से शकील के मकान तक, सूरज सिंह के मकान से आजाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.615
	योग				98.471

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शारानादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



233/5

दूरभाष- 2286700

2286710

नया धरना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अधिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि दूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की सूची पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यववर्तन अनुगन्ध न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किरत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक